

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 2633/2024


दिनांक : 08.08.2024

श्री गणेश कुमार (RJ00241), विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, कम-02, झालावाड़ दिनांक 12.08.2024 से 17.08.2024 तक 06 दिनों का उपार्जित अवकाश (अवकाश शेष होने की शर्त पर) दिनांक 09.08.2024 से 11.08.2024 एवं 18.08.2024 से 19.08.2024 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति स्वीकृत किया जाता है।

श्री कुमार की अनुपस्थिति में विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, कम-01, झालावाड़ इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, कम-02, झालावाड़ के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से



रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:-स्था.बी.2(4)/55/1996/ 6299

दिनांक : 08.08.2024

प्रतिलिपि गिम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, कम-02, झालावाड़ को उनके पत्रांक 108 दिनांक 08.07.2024 के सन्दर्भ में।
3. श्री गणेश कुमार (RJ00241), विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, कम-02, झालावाड़।
4. विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, कम-01, झालावाड़।


08/08/2024
सहायक रजिस्ट्रार